न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास प्रतिभा वर्मा, आई.ए.एस

प्रकरण संख्या: 3/2018/दावा

1. भंवरलाल पुत्र दुर्गालाल जाति नाई निवासी रामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

— वादी

बनाम

1 ओमप्रकाश पुत्र दुर्गालाल जाति नाई निवासी रामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

2 श्रवण कुमार पुत्र निरभाराम जाति अहीर (यादव) निवासी अहीर का बास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

3 दुर्गालाल

3/1. गोपाल पुत्र स्व. दुर्गालाल

3/2. राजेशकुमार पुत्र स्व. दुर्गालाल

3/3. कमलादेवी पुत्री स्व. दुर्गालाल

3/4. भंवरीदेवी पत्नि स्व. दुर्गालाल

समस्त जाति अहीर निवासीगण अहीरकाबास तह0 दांतारामगढ जिला सीकर।

4 कुशाल
5 भगवान सहाय
6 रामपाल
} पुत्रगण हरदेवाराम जाति अहीर निवासी अहीरकाबास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

7 बरजी देवी पत्नि बनवारीलाल

8 लक्ष्मी देवी पुत्री बनवारीलाल पत्नि औमप्रकाश

9 कृष्णा देवी पुत्री बनवारीलाल

10 संतोष देवी पत्नि [illegible]दलाल

11 मोहनलाल पुत्र बनवारीलाल

12 गोविन्द पुत्र गणेश

13 छीतरमल
14 मूलचंद
15 रतनलाल
} पुत्रगण कज्जूलाल

समस्त जाति कुमावत निवासीगण रामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

16 तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत बटंवारा, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति—

1. श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत वकील वादीगण की ओर से।
2. श्री बजरंगसिंह शेखावत वकील प्रतिवादीगण संख्या 3/1 ता 3/4, 4 ता 6 की ओर से।
3. श्री योगेश शर्मा वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से।
4. श्री अनिल शर्मा वकील प्रतिवादीगण संख्या 12 की ओर से।
5. प्रतिवादीगण संख्या 2, 7 लगायत 11, 13 लगायत 16 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

निर्णय

दिनांक 13.02.2023

1. वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त अविभाजित कृषि सम्पदा वाके ग्राम अहीरकाबास पटवार हल्का रामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। जिसके ख.नं. 274 ता 276 कुल किता 3 कुल रकबा 4.39 हैक्टर है। जो कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमियां है। जिसमें वादी का हिस्सा 1/8 है। जिसका वादी रिकार्डेड खातेदार एवं काबिज काश्तकार है। उपरोक्त वर्णित विवादास्पद आराजी वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त कृषि भूमियां है। जिसमें वादी का हक हिस्सा 1/8 तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 3/13 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 6 का 3/13 हक हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 11 का 1/52 हक हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 12 का 1/4 हक हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 13 ता 15 का 1/52 हक हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उसी अनुरूप वादी व प्रतिवादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उपरोक्त वर्णित सम्पदा वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त अविभाजित कृषि सम्पदा है। जिसका पक्षकारान ने मौके पर बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा बाहमी बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण काबिज काश्त होकर कृषि कार्य करते चले आ रहे है। वादी अपनी उक्त कृषि सम्पदा को बंटवारा के समय से ही बाहमी बंटवारा में आयी अपने हिस्से की कृषि भूमियों पर काश्त कर अपने परिवार का भरण पोषण करता चला आ रहा है। अब वादी उक्त कृषि सम्पदा का विधिवत बाई मिटस एण्ड बाउन्डस बंटवारा करवाकर अपनी काश्त भूमि को और उन्नत बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से समय समय पर आने वाली कृषि योजनाओं का लाभ लेकर अच्छी काश्त करना चाहता है, इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण से वादग्रस्त सम्पदा का बाई मिटस व बाउन्डस बंटवारा करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण पहले तो वादी को बंटवारा हेतु आवश्वासन देते रहे परन्तु अभी विगत दिनों वादग्रस्त सम्पदा का बाई मिटस व बाउन्डस बंटवारा करवाने से साफ इन्कार हो गये व प्रतिवादीगण ने वादी से धमकी भरे अंदाज में कहा कि हम अच्छे भू भाग पर कब्जा करेंगे, इसलिए वादग्रस्त कृषि भूमि वर्णित उपरोक्त वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिटस एण्ड बाउन्डस बंटवारा किया किया जाकर वादी को उसके हक हिस्से का काबिज काश्तकार खातेदार उदघोषित किया जाकर वादी को अलग ख.नं. कायम कर अलग अलग नींव सींव कायम कर रिकार्ड दुरूस्ती किया जाना प्रार्थनीय है तथा उसी अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउन्डस बंटवारा किया जाकर अलग ख.नं. व नींव सींव कायम की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। वादी को वाद कारण दिनांक 25.12.2017 का वादी जब अपनी काश्त भूमि पर कृषि कार्य कर रहा था तो प्रतिवादीगण दिगर व्यक्तियों के साथ आये व बंटवारा करवाने से इन्कार हो गये व वादी बलात बेदखल कर विवादति सम्पदा को बिना बंटवारा बेचान करने की धमकी दिए जाने से वाद कारण उत्पन्न हुआ, तब से वादर कारण निरन्तर रूप से जारी है। अतः अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि वाद वादी विरुद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि ख.नं. 274 ता 276 कुल किता 3 कुल रकबा 4.39 हैक्टर तन ग्राम अहीर का बास पटवार हल्का रामगढ तहसील दांतारामगढ का वादी

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिटस एण्ड बाउन्डस विभाजन किया जावे तथा तदनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद कर संशोधन किया जावे, बंटवारे मे वादी को प्राप्त भूमियों का पृथक से काबिज खातेदार–काश्तकार घोषित किया जाकर विभाजन/बंटवारे में वादी को प्राप्त भूमियों की नींव सींव खुर्द बुर्द करने, पेड पौधे की लुंग डाली काटने, उपयोग तथा उपभोग में हस्तक्षेप करने, मौका सुरत में तब्दिली करने से प्रतिवादीगण स्वंय, एजेंट, नोकर, वारिशान, परिजनों को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किये जाने का अनुतोष चाहा गया।

2. वादपत्र पेश होने पर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री योगेश शर्मा हाजिर आये व जवाब दावा मय प्रतिदावा प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण सं. 3/1 लगायत 6 की ओर से अधिवक्ता श्री बजरंगसिंह शेखावत हाजिर आये व जवाब दावा मय प्रतिदावा प्ररतुत किया। प्रतिवादी सं. 12 की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल शर्मा हाजिर आये। शेष प्रतिवादीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादीगण सं. 1 ने जवाब दावा मय प्रतिदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि वाद वर्णित कृषि भूमियों का बाई मिट्स एण्ड बाउन्ड्स बंटवारा किया जाकर काउन्टर वादी के जमाबन्दी में दर्ज हिस्से की कृषि भूमि का अलग खातेदार काश्तकार उदघोषित किया जाकर अलग खाता किया जाकर अलग खसरा नम्बर कायम कर अलग लगान निर्धारित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में अंकन किया जावें। प्रतिवादीगण सं. 3/1 लगायत 6 ने जवाब दावा मय प्रतिदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 अपने खातेदारी व बहामी बंटवारे के अनुसार खसरा नम्बर 276 पर काबीज होकर काश्त करते आ रहे है तथा मौके के अनुसार बंटवारा किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई आपती नहीं है। बहामी बंटवारे में उनके कब्जेकाश्त खातेदारी अधिकार की अन्य कृषि आराजियात खसरा नम्बर 276 की सीमा जोड़ में अवस्थित है इसी उत्तरदातागण द्वारा उक्त विवादित खसरा नम्बरान में से अपने हक हिस्से खातेदारी अधिकार के 3/13 भू–भाग को बहामी बंटवारे में खसरा नम्बर 276 में प्राप्त कर कब्जा काश्त करते आ रहे है उसी अनुरूप उत्तरदातागण का बंटवारा किया जाना न्यायोचित है। वादी एवं शेष प्रतिवादीगण को बिना बंटवारा करवाये विवादित कृषि आराजियात में रिकार्ड व मौका स्थिति में परिवर्तन करने हस्तान्तरित व प्रभारित करने से स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जाना अतिआवश्यक एवं न्यायोचित है। प्रतिवादी सं. 12 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। वकील वादी एवं वकील प्रतिवादीगण द्वारा बंटवारा बाबत सहमति प्रकट किये जाने से वाद विवाधक कायम नहीं किये जाकर उभय पक्षकारान् के निवेदन व सहमति पर वाद को प्रारम्भिक रुप से डिक्री कर तहसीलदार दांतारामगढ़ को मौका कमिश्नर नियुक्त कर बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया गया। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार दांतारामगढ़ से बंटवारा प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस प्राप्त हुआ। वकील वादी एवं वकील प्रतिवादीगण ने प्राप्त बंटवारा पर कोई आपत्ति नहीं कर प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिकी हेतु सहमति जाहीर की। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

3. उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया। पत्रावली एवं बंटवारा प्रस्ताव के समग्र अवलोकन से यह तथ्य प्रकट होता है कि वादी की ओर से प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण सं. 1 एवं 3/1 ता 6 की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर दावा प्रस्तुत हुआ है। प्रतिवादीगण सं. 1 एवं 3/1 ता 6 ने प्रस्तुत जवाब दावा मय काउन्टर दावा में वाद में वर्णित खसरा नम्बरों का By Mits & Bounds बंटवारा करने की सहमति देते हुये अपना हिस्सा का भी बंटवारा कर पृथक करने का अनुतोष काउन्टर वाद के माध्यम से चाहा है उभय पक्षकारान् की सहमति से वाद प्राथमिक रुप से डिक्री किया जाकर मौके का बंटवारा प्रस्ताव मंगवाने हेतु तहसीलदार दांतारामगढ़ को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया। न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार दांतारामगढ़ से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ। बंटवारा प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार दांतारामगढ़ से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव राजस्व मण्ड़ल विभाजन नियम 18 से 21 के प्रावधानों के अनुकूल पाये जाने से उपरोक्त विवेचनानुसार प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव में तथ्यात्मक व विधिक दृष्टि से कोई त्रृटि नहीं होने से वादी का वाद एवं प्रतिवादीगण सं. 1 एवं 3/1 ता 6 का काउन्टर वाद मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार दांतारामगढ़ को आदेशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में मुताबिक डिक्री इन्द्राज करे व बंटवारा प्रस्ताव डिक्री का भाग रहेगा। प्रतिवादीगण स्वयं को मय वारिशान, परिजन, एजेंट को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 एवं 3/1 ता 6 को बंटवारे में प्राप्त कृषि आराजियात के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करने, कृषि कार्य में अवरोध उत्पन्न करने, नींव सींव खुर्द बुर्द करने, पैड पौधे काटने, मौका सुरत में तब्दिली करने से बाज रहे। तदनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे। डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार दांतारामगढ़ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह निर्णय आज दिनांक 13.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/2/23

(प्रतिभा वर्मा IAS)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास प्रतिभा वर्मा, आई.ए.एस

प्रकरण संख्याः 3 / 2018 / दावा

1. भंवरलाल पुत्र दुर्गालाल जाति नाई निवासी रामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– वादी

बनाम

1 ओमप्रकाश पुत्र दुर्गालाल जाति नाई निवासी रामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

2 श्रवण कुमार पुत्र निरभाराम जाति अहीर (यादव) निवासी अहीर का बास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

3 दुर्गालाल

3/1. गोपाल पुत्र स्व. दुर्गालाल

3/2. राजेशकुमार पुत्र स्व. दुर्गालाल

3/3. कमलादेवी पुत्री स्व. दुर्गालाल

3/4. भंवरीदेवी पत्नि स्व. दुर्गालाल

समस्त जाति अहीर निवासीगण अहीरकाबास तह0 दांतारामगढ जिला सीकर।

4 कुशाल
5 भगवान सहाय
6 रामपाल
} पुत्रगण हरदेवाराम जाति अहीर निवासी अहीरकाबास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

7 बरजी देवी पत्नि बनवारीलाल

8 लक्ष्मी देवी पुत्री बनवारीलाल पत्नि औमप्रकाश

9 कृष्णा देवी पुत्री बनवारीलाल

10 संतोष देवी पत्नि नंदलाल

11 मोहनलाल पुत्र बनवारीलाल

12 गोविन्द पुत्र गणेश

13 छीतरमल
14 मूलचंद
15 रतनलाल
} पुत्रगण कज्जूलाल

समस्त जाति कुमावत निवासीगण रामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

16 तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत बटंवारा, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति–

1. श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत वकील वादीगण की ओर सें।
2. श्री बजरंगसिंह शेखावत वकील प्रतिवादीगण संख्या 3/1 ता 3/4, 4 ता 6 की ओर सें।
3. श्री योगेश शर्मा वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से।
4. श्री अनिल शर्मा वकील प्रतिवादीगण संख्या 12 की ओर से।
5. प्रतिवादीगण संख्या 2, 7 लगायत 11, 13 लगायत 16 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

अतिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आदेश 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अजअदालत उपखण्ड अधिकारी, दातारामगढ जिला सीकर

इजलास प्रतिभा वर्मा, आई.ए.एस

भंवरलाल बनाम ओमप्रकाश आदि

दावा बाबत बंटवारा, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 3 / दावा सन् 2018 निर्णय दिनांक 13.02.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू प्रतिभा वर्मा आई.ए.एस बहाजरी श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत मिनजानिबमुद्दई व योगेश शर्मा, बजरंगसिंह शेखावत व छितरमल शर्मा मिनजानिबमुद्दई पेश होकर हुकम दिया जाता है, कि तहसीलदार दांतारामगढ के पत्रांक 2022/भू0अ0/2209 दिनांक 08.09.2021 के द्वारा ग्राम अहीर का बास प0ह0 रामगढ का प्राप्त बंटवारा स्कीम मय नक्शा ट्रेस प्राप्त होने पर अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से जारी की जाती है :-

क्र. सं.	खातेदार का नाम मय वल्दियत	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान रूपये में
1	ओमप्रकाश पुत्र दुर्गालाल जाति नाई सा.देह	275/1	0.5438	बारानी 3	1.6314
2	भंवरलाल पुत्र दुर्गालाल जाति नाई सा.देह	275/2	0.5437	बारानी 3	1.6311
3	दुर्गालाल, कुशाल, भगवानसहाय, रामपाल पि. हरदेवाराम हि.ब. जाति अहीर सा.देह	276/2	1.01	बारानी 3	3.03
4	श्रवणकुमार पुत्र निरन्नाराम राहिन BRKGB शाखा दांतारामगढ मूर्तहिन जाति अहीर हि. 12/27 कज्जूलाल पुत्र पन्नाराम हि. 1/27 कृष्णा देवी लक्ष्मीदेवी पुत्रीया बनवारीलाल नंदलाल, मोहनलाल पि. बनवारीलाल, बरजीदेवी पत्नि बनवारीलाल हि.ब. हि. 1/27 गोविन्दराम पुत्र गणेशराम भवरीदेवी पुत्री गणेशराम हि.ब.हि. 13/27 जाति कुमावत सा.देह	274 275/3 276/1 किता 3	1.70 0.0025 0.59 2.2925	बारानी 3 बारानी 3 बारानी 3	5.10 0.0075 1.77

उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है डिक्री की पालना में प्रतिवादीगण स्वयं को मय वारिशान, परिजन, एजेंट को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 एवं 3/1 ता 6 को बंटवारे में प्राप्त कृषि आराजियात के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करने, कृषि कार्य में अवरोध उत्पन्न करने, नींव सींव खुर्द बुर्द करने, पैड पौधे काटने, मौका सुरत में तब्दिली करने से बाज रहे। बंटवारा प्रस्ताव डिक्री का भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूल याबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13.02.2023 को जारी की गई।

दस्तखत ओहदा

उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ

मोहर

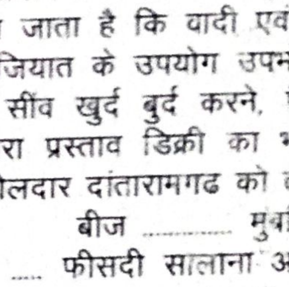

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्पअर्जीदावा	6	00	स्टाम्पवकालतनामा	1	00
स्टाम्पवकालतनामा	1	00	स्टाम्पअर्जी ...		
स्टाम्पवजहसबूत	--	--	मेहनतानावकीलपर ...		
मेहनतानावकील	--	--	खर्चागवाहान		
खर्चागवाहान	--	--	फीसकमिश्नर		
फीसकमिश्नर	--	--	बाबतइजराय हुक्मनामा		
बाबतइजराय हुक्मनामा	--	--	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोटः इस खर्चे के फार्मपरकुल खर्चाहरदोफरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

13/01/23

(प्रतिमा वर्मा IAS)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ